



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४ खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ, मंगलवार, १२ दिसम्बर, २०००

ग्रहायण २८, १०२२ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

सं० क०नि०-५-७२४३/११-२०००-५००(८०)-९८

लखनऊ, १९ दिसम्बर, २०००

अधिसूचना

प०आ० १५२१

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (अधिनियम संख्या २ सन् १८९९) की धारा ९ की उपधारा १ के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य पाल

(क) ६ नवम्बर १९९६ से प्रारम्भ होने वाली और १९ फरवरी १९९७ को समाप्त होने वाली ,

(ख) १९ फरवरी १९९८ से प्रारम्भ होने वाली और ३० नवम्बर १९९८ को समाप्त होने वाली,

(ग) 1 दिसम्बर 1999 से प्रारम्भ होने वाली और 19 अप्रैल 2000 को समाप्त होने वाली,

अवधि के लिए उक्त भूमि में पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखित पर उक्त अधिनियम की अनुसूचित 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क के अधीन प्रभार्य स्टांप शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्णस्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से ऐसी नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टांप शुल्क की सीमा तक करते हैं। परन्तु यह कि अधिसूचना नजूल भूमि में नीलम या निविदा आमंत्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस ब्याज यदि कोई हो जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए किया गया हो से है।

आज्ञा से,

टी0जार्ज जोसेफ,

प्रमुख सचिव।